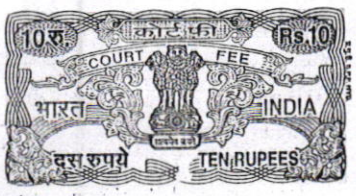

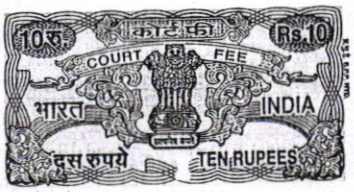

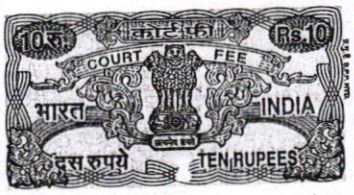

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरावलोकन

लक्ष्मण त्यागी पुत्र छीतरिया त्यागी

निवासी–ग्राम–बुढैरा, तहसील–जौरा, जिला–मुरैना

विरूद्ध

1. वासुदेव पुत्र जौधा कोली
2. देवीवन पुत्र भागीरथ गुंसाइ
3. देवेन्द्र पुत्र प्रीतम
4. दर्शन पुत्र विष्णु
5. अशोक पुत्र वृन्दावन त्यागी
6. माताशरण पुत्र पंचम त्यागी
7. द्वारिका पुत्र रामस्वरूप त्यागी
8. नरेश पुत्र जसमन्त त्यागी

समस्त निवासीगण ग्राम–बुढैरा, तहसील–जौरा

जिला–मुरैना म.प्र.

9. श्रीमती पुनिया पत्नी लक्ष्मण कुशवाह
10. केदार पुत्र लक्ष्मण कुशवाह
11. आदिराम पुत्र लक्ष्मण कुशवाह

निवासीगण ग्राम–बुढैरा (सिद्वपुरा)

तहसील–जौरा, जिला–मुरैना म.प्र.

12. श्रीमती कस्तुरी पुत्री लक्ष्मण पत्नी मनीराम कुशवाह
13. श्रीमती गुड्डी पुत्री लक्ष्मण पत्नी विशाल

निवासीगण ग्राम–भगत का पुरा, तहसील –जौरा

जिला–मुरैना म.प्र.

सदस्य श्री एम.के.सिंह द्वारा प्रकरण क्रमांक 3511–2/2014 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 14/02/2017 के विरूद्व पुनरावलोकन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी गंभीर त्रुटि हुयी है जो आदेश के पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार निर्मित करती है।

2. यह कि, तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण क्रमांक–1 से 8 के हित में म.प्र. कृषि परियोजनो के लिये उपयोग की जा रहीं दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापित की गयी थी जिसका इस प्रकरण में विवाद है।

3. यह कि, तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण 1 से 8 ने उपरोक्त अधिनियम जिसे आगे विशेष उपबंध अधिनियम कहां गया है के अंतर्गत सामुहिक रूप से भूमि व्यवस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो प्रचलन योग्य ही नहीं था क्योंकि उक्त विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक आवेदनकर्ता को विहित प्रारूप में पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये थे। सामुहिक आवेदन पर की गयी कार्यवाहीं एवं आदेश प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं विचाराधिकारहीन है।

4. यह कि, तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30/11/1995 के विरूद्व आवेदक एवं अनावेदकगण क्रमांक–9 से 14 के पूर्वाधिकारी ने तहसीलदार के आदेश की जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील क्रमांक–42/2009–10 को आदेश दिनांक 21/10/2011 से इस कारण अग्रहाय कर दिया था कि विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत अपील का प्रावधान नहीं है।

5. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात कलेक्टर न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते हुये अनावेदकगण 1 से 8 को कारण बताओं सूचना पत्र भेजा जाना आदेशित किया था। ऐसी आदेश पत्रिका के विरूद्व राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन चलने योग्य ही नहीं था।

6. यह कलेक्टर द्वारा दिये गये कारण बताओं सूचना पत्र के उत्तर में अनावेदक–1 से 8 को अपना पक्ष कलेक्टर के समक्ष रखने का अवसर एवं अधिकार था कारण बताओं सूचना पत्र जारी करना कलेक्टर का विचाराधिकार था। इस न्यायालय के आदेश से कलेक्टर को

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्य– 1171–दो/17 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	*कार्यवाही तथा आदेश*	*पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर*
5.4.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 क0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता श्री वाजपेयी द्वारा आवेदक लक्ष्मण त्यागी पुत्र छीतरिया त्यागी निवासी ग्राम बुढेरा तहसील जौरा जिला मुरैना का शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है इस कारण से वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	